

प्रेस-विज्ञप्तिथाना – अहरौलाचोरी गये बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 19.09.2023 को वादी मुकदमा श्री विशाल सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी सिद्धार्थ सिंह पुत्र विजय कुमार निवासी ग्रा0 इब्राहिमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा दुकान के पास आकर वादी को भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी भी दिया तथा मेरी मोटरसाईकिल (UP50S 2608) को लेकर भाग गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 303/23 धारा 323/504/506/336/379 भादवि बनाम सिद्धार्थ सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ग्रा0 इब्राहिमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर बतपत्तीशी उ0 नि0 श्री गोपाल सिंह के किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.09.2023 को उ0नि0 रामगोपाल सिंह मय हमरहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सिद्धार्थ सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ग्रा0 इब्राहिमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को बरसातीगंज चौराहे से समय 09.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 303/23 धारा 323/504/506/336/379/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- सिद्धार्थ सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ग्रा0 इब्राहिमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण- एक अदद क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल UP50S 2608 का अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 341/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 362/22 धारा 323/504/506/427/34/308 भादवि व 3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रामगोपाल सिंह व का0 बृजभान यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना सिधारीफर्जी दस्तावेज तैयार करके परिवार रजिस्टर में नाम अंकित कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना..दिनांक 12.07.2023 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 24 , आजमगढ़ दिनांकित 06.07.2023 अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 मय प्रार्थना पत्र आवेदक श्री भुनेश्वर राय पुत्र स्व0 श्रीनाथ राय निवासी मतौलीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ प्रतिवादी कृष्णमुरारी राय उर्फ पिन्टू पुत्र श्यामसुन्दर निवासी रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक के चाचा हरिकेश्वर राय उर्फ केशर राय पुत्र स्व0 देवनरायन राय निवासी मतौलीपुर आजमगढ़ के मृत्यु के उपरान्त उनकी सम्पत्ति हड़पने की लालच में उनके पुत्र बनने के लिए कूट रचना व जालसाजी करके फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड आदि तैयार कर परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करा लेने व हड़पने की नियत रखने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम कृष्णमुरारी राय उर्फ पिन्टू पुत्र श्यामसुन्दर निवासी रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रतन कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.09.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू राय उर्फ कृष्ण मुरारी राय पुत्र स्व0 हरिकेश्वर राय निवासी मतौलीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर नरौली तिराहे से समय करीब 15.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 255/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आमजगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-कृष्ण मुराली राय उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 हरिकेश्वर राय निवासी मतौलीपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष स्थायी पता पुत्र श्यामसुन्दर राय निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- मेंहनगर
छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादिनी मुकदमा उम्र 17 वर्ष की तहरीरी सूचना दी गयी कि विपक्षी अतुल सरोज पुत्र स्व0 भानू सरोज निवासी टिसौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ वादिनी के साथ रास्ते में आते जाते समय छेड़खानी करता है, दिनांक 18.09.23 को सुबह 7 बजे छेड़खानी का विरोध करने पर अभियुक्त व उसकी माँ किसमती द्वारा गाली गुप्ता देना, मारपीट, व जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.09.23 को मु.अ.सं. 401/23 धारा 354/323/504/506/324 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। पीडिता के बयान से धारा 354 भादवि से धारा 354(क) भादवि में तस्मीम किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.09.23 को उ0नि0 रामअवध यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अतुल सरोज पुत्र स्व0 सूर्यभान उर्फ भानू सरोज निवासी टिसौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना पर टिसौरा मोड़ से समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अतुल सरोज पुत्र स्व0 सूर्यभान उर्फ भानू सरोज निवासी टिसौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 401/23 धारा 354(क)/323/504/506/324 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 रामअवध यादव मय हमराह का0 आदित्य पाण्डेय थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – बरदह

दिनांक- 20.09.2023 को माननीय न्यायालय (जे.एम.) आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/1990 धारा 380/457 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त 1. मनोज पुत्र मुन्नीलाल, 2. राममूरत उर्फ मनवा पुत्र लौटू समस्त निवासी छत्तरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना – अहरौला

दिनांक- 20.09.2023 को माननीय न्यायालय (जे.एम.) आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/1995 धारा 324 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त रामबुझ यादव पुत्र सुग्रिम यादव निवासी माहुल थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना – मेंहनाजपुर

दिनांक- 20.09.2023 को माननीय न्यायालय (FTC) आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनाजपुर पर पंजीकृत एनसीआर सं0- 19/2009 धारा 323/504/506 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त पप्पू उर्फ संतोष कुमार चौहान पुत्र रामसमुझ चौहान निवासी मऊ परासिन थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को कुल 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।